उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–25/2021–22

इन्दुशेखर सिन्हा

बनाम्

रैयान मौजा–बोरमा एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक	
08/09/21	उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता इन्दुशेखर सिन्हा, पे0–स्व0 कमलेश्वर प्रसाद, सा0–बोरमा, अंचल–मेहरमा, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के न्यायालय के पी0ए0 केश नं0–20/2016–17 (इन्दुशेखर सिन्हा बनाम् रैयान मौजा–बोरमा) के आदेश दिनांक–09.03.2021 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने पी0ए0 केश नं0–20/2016–17 के आदेश दिनांक–09.03.2021 के द्वारा उत्तरवादी संख्या–02 संजीव कुमार को मौजा–बोरमा का प्रधान नियुक्त किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलकर्त्ता के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के न्यायालय में उत्तरवादी संजीव कुमार के संबंध में आपत्ति किया था कि वे मौजा–बोरमा में निवास नहीं करते हैं, बल्कि वे बिहार राज्य के भागलपुर जिला के निवासी है और पंचायत चुनाव 2011 के मतदाता सूची में निर्भय कुमार सिन्हा की पत्नि करूणा देवी एवं परिवार के अन्य सदस्यों का नाम शामिल है, जो मतदाता सूची के क्रमांक–274 से 280 में नाम दर्ज है। इस संबंध में अपीलकर्त्ता के द्वारा शपथ पत्र के साथ उसके समर्थन में कागजात भी दाखिल किया था और निम्न न्यायालय से जाँच कराने के लिए अनुरोध किया था। लेकिन निम्न न्यायालय के द्वारा अपीलकर्त्ता के आपत्ति पर जाँच नहीं कराया गया। जाँच से ही स्पष्ट होता कि उत्तरवादी संजीव कुमार का निवास स्थान मौजा–बोरमा में है या नहीं। उत्तरवादी संजीव कुमार मौजा–बोरमा का रैयत हो सकता है। लेकिन रैयत होना मौजा का निवासी होने का प्रमाण नहीं हो सकता है। उनका आगे कथन है कि उत्तरवादी संजीव कुमार ग्राम–ईशीपूर का निवासी है और बोरमा से ईशीपुर की दूरी एक मील से अधिक है, जबकि संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) नियमावली 1950 के अनुसूची V के अनुसार प्रधान

का मकान संबंधित मौजा से एक मील के अंदर होना चाहिए। उनका आगे कथन है कि गत प्रधान निर्भय कुमार सिंह की मृत्यु वर्ष 2015 में हुई है। उत्तरवादी संजीव कुमार के द्वारा निर्धारित समय सीमा में नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं दिया था और निम्न न्यायालय के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन भी नहीं किया गया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत मौजा–बोरमा का प्रधान नियुक्त करने के लिए अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा को रिमाण्ड करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी संजीव कुमार के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–बोरमा नं0–3, 6 जमाबंदी सं0–15 दाग नं0–898 रकवा 04–17–10 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में गोपाल राम प्रधान किस्म रैयत प्रधान का जोत नाम से दर्ज है। इससे स्पष्ट होता है कि मौजा–बोरमा प्रधानी मौजा है। गोपाल राम प्रधान अपने पीछे एक पुत्र बद्री राम को छोड़कर फौत कर गये। गोपाल राम की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के आधार पर बद्री राम मौजा–बोरमा का प्रधान नियुक्त हुए। बद्री राम की मृत्यु के बाद उनके पुत्र निर्भय कुमार सिंह उत्तराधिकारी के आधार पर नियुक्त हुए। वर्तमान उत्तरवादी संजीव कुमार गत प्रधान निर्भय कुमार सिंह के ज्येष्ठ पुत्र है। गत प्रधान के ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते उन्होंने मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत उत्तराधिकारी के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा को आवेदन दिया। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने आवेदन की जाँच अंचल अधिकारी, मेहरमा से करायी गई। अंचल अधिकारी, मेहरमा से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर मौजा के सौलह आना रैयतों को आपत्ति हेतु नोटिश दिया गया। कहीं से किसी प्रकार कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उत्तरवादी संजीव कुमार को मौजा–बोरमा का प्रधान नियुक्त किया गया है। इस प्रकार निम्न न्यायालय के द्वारा नियम विरूद्ध आदेश पारित नहीं किया गया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में विज्ञ सहायक सरकारी वकील का मंतव्य प्राप्त हुआ है। विज्ञ सहायक सरकारी वकील का मंतव्य है कि उत्तरवादी संजीव कुमार गत प्रधान निर्भय कुमार सिंह के ज्येष्ठ पुत्र है। संबंधित अंचल अधिकारी, मेहरमा के द्वारा भी जाँच प्रतिवेदन दिया है कि उत्तरवादी संजीव

कुमार गत प्रधान के वंशज है और मौजा के रैयतों को स्वीकार्य है। इसलिए अपील आवेदन चलने योग्य नहीं है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस सुनने एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–बोरमा नं0–3, 6 प्रधानी मौजा है। यह स्पष्ट है कि मौजा–बोरमा के अंतिम प्रधान निर्भय कुमार सिंह थे एवं उत्तरवादी संजीव कुमार गत प्रधान के ज्येष्ठ पुत्र है। लेकिन अपीलकर्त्ता के द्वारा आपत्ति किया गया है कि उत्तरवादी संजीव कुमार ग्राम–ईशीपुर में निवास करते हैं एवं ग्राम–ईशीपुर की दूरी मौजा–बोरमा से एक मील से अधिक है। अपीलकर्त्ता के द्वारा पंचायत आम निर्वाचन नामावली 2011(बिहार) मतदाता सूची का प्रति दाखिल किया गया है, जिसमें संजीव कुमार सिन्हा पिता का नाम–निर्भय सिन्हा गृह सख्या–84 अंकित है एवं आनंद कुमार पिता का नाम–निर्भय सिन्हा का भी गृह संख्या–84 अंकित है। इससे स्पष्ट है कि उत्तरवादी संजीव कुमार एवं आनंद कुमार ग्राम–ईशीपुर में निवास करते हैं। संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) नियमावली 1950 के अनुसूची V के अनुसार प्रधान का स्थायी निवास संबंधित मौजा से एक मील के अंदर होना चाहिए। इस प्रकार उत्तरवादी संजीव कुमार का निवास ग्राम– ईशीपुर होने के कारण उक्त नियमावली के अनुसूची V के अनुसार उक्त मौजा के प्रधानी पद के लिए योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतएव अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत उत्तरवादी संजीव कुमार को नियुक्त करना नियम संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के पी0ए0 केश नं0–20/2016–17 के आदेश दिनांक–09.03.2021 को निरस्त करते हुए मौजा–बोरमा को खास घोषित किया जाता है एवं संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा को रिमाण्ड किया जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा को आदेश दिया जाता है कि दो माह के अंदर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत मौजा–बोरमा का प्रधान नियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Seen
Advocate
11/7/2022

11/7/22

डी0 प्रा0–38
08.07.22

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.10.11 12:54:42 +05:30
Location: 192.168.1.38

RMA No 25-2021-22